45

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1994 (चैत्र 17, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पुरैनी के पास एक स्टापडेम के धंसने से श्रमिक की मृत्यु होने के संबंध में उपमुख्य मंत्री कृषि, का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामलखन शर्मा, बाबूलाल गौर, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर स्थित जे.सी. मिल के बन्द होने के कारण श्रमिकों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जसवंत सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है ".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य -

(क) रायपुर जिले के ग्राम-रायखेडा में हाईस्कूल खोलने, तथा
(ख) आरंग विधान सभा क्षेत्र के समौदा से संकरी मार्ग पर तुलसी नाला पर पुल/रपटा का निर्माण,

(2) श्री मनोहर लाल राठौर, सदस्य -

(क) होशंगाबाद जिले के ग्राम-पिपलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ख) होशंगाबाद जिले के ग्राम-तजपुरा के हरदा-छिपानेर मार्ग पर पुलिया का निर्माण,
(ग) होशंगाबाद जिले के ग्राम-करताना एवं खोड्याखेडी के मध्य नाले पर पुलिया का निर्माण, तथा
(घ) होशंगाबाद जिले के ग्राम-भैरोपुर से उपनहर तक डब्ल्यू.बी.एम. पहुंच मार्ग का निर्माण,

(3) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य -

(क) मण्डला जिले के ग्राम-मंगली में माध्यमिक शाला खोलने,
(ख) मण्डला जिले के ग्राम-कुम्हा में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण,
(ग) मण्डला जिले के ग्राम-बम्हनी रै. पहुंच मार्ग का निर्माण,
(घ) मण्डला जिले के ग्राम भरखी में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण,
(ङ.) मण्डला जिले के ग्राम-कलौडी से सैदा मार्ग में फैन नदी पर पुल निर्माण,
(च) मण्डला जिले के ग्राम-डुगरा में बांध का निर्माण, तथा
(छ) मण्डला जिले के ग्राम-चर्राटोला में पानी की समस्या का निदान,

-2-

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य -

(क) भिण्ड जिले के ग्राम-सुन्दरपुरा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(ख) भिण्ड जिले के ग्राम-जुल्लीकापुरा में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण,
(ग) भिण्ड जिले के ग्राम-शसीगढ़ में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण,
(घ) भिण्ड जिले के ग्राम-वमनपुरा में पहुंच मार्ग बनवाने,
(ङ.) भिण्ड जिले के ग्राम वमनपुरा में विद्युत लाइन लगवाने,
(च) भिण्ड जिले के ग्राम-पीपरी में शासकीय ट्यूबवेल खनन करने,
(छ) भिण्ड जिले के ग्राम-शसीगढ़ से जगदीशपुरा तक सड़क का निर्माण करने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिये पांच सदस्यों का निर्वाचन

श्री महेन्द्र सिंह, शालेय शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 (1) (च) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिये विधान सभा के सदस्यों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो".

7. विश्वविद्यालयों की सभाओं (कोर्ट) के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

(1) " यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूची की कण्डिका 2 की उपांतरित धारा-20 की उपधारा (1) के पद (दस) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिये उनके सामने अंकित सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो :-

(क) डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	तीन सदस्य
(ख) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	तीन सदस्य
(ग) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	तीन सदस्य
(घ) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	तीन सदस्य"

(2) " यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों".

8. वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

भोपाल :
दिनांक : 6 अप्रैल, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा